रिविजनल सिविल

आर-एस. नरूला, जे. के समक्ष

चमन लाल नारंग पुत्र गोकल चंद नारंग, *प्रार्थी।*

बनाम

अश्विनी कुमार और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिविजन 1973 की संख्या 683। .

16 जनवरी, 1974।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का 3) - धारा 13 - सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5) - आदेश VI नियम 17 - किराया नियंत्रक - क्या बेदखली के मामलों में दलीलों में संशोधन की अनुमति देने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है - बदली हुई परिस्थितियों का नोटिस लेने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति देना - क्या वांछनीय है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कानून की अदालत के पास उस प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए कार्रवाई करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो अकेले मौजूद है और उन सभी चीजों को करने के लिए जो उसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हैं। यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी किराया नियंत्रक की अदालत के पास अच्छे और पर्याप्त कारणों से बेदखली के मामलों में दलीलों में संशोधन की अनुमति देने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। किसी भी कानून में किराया नियंत्रक द्वारा उस शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालयों को कार्यवाही की परिहार्य बहुलता पर अपना हाथ नहीं डालना चाहिए और हमेशा एक ही मुकदमे में पार्टियों के बीच मुद्दों के मामलों को प्रभावी ढंग से तय करने की कोशिश करनी चाहिए, जहां तक यह कानून द्वारा स्वीकार्य है। मुकदमेबाजी को कम करने और न्यायालयों द्वारा कार्रवाई के परिपथ से बचने के लिए मामले के लंबित रहने के दौरान बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति देने की वांछनीयता अच्छी तरह से स्थापित है।

Chaman Lal Narang, s/o Gokal Chand Narang *v.* Ashwani Kumar
और अन्य (नरूला, जे।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत श्री निरंजन सिंह, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के दिनांक 21 फरवरी, *1973 के आदेश में संशोधन* के लिए याचिका, *जिसमें निष्कासन आवेदन में संशोधन की सशर्त अनुमति दी गई थी, 25 रुपये* लागत के रूप में *भुगतान पर।*

याचिकाकर्ता की ओर *से जेवी गुप्ता,* वकील

एन. एल. ढींगरा, वकील, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

नरूला, जे - श्री जतिन्दर वीर गुप्ता ने इस याचिका के समर्थन में किराया नियंत्रक, चंडीगढ़, दिनांक 27 फरवरी, 1973 के आदेश के संशोधन के लिए दो बिन्दुओं का अनुरोध किया है, जिसमें भूमि-स्वामी-प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए अपने आवेदन में संशोधन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें बेदखली की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक फोटोग्राफर श्री डी. पॉल को परिसर के एक हिस्से के आगे सबलेट करने का आधार जोड़ा गया है, नामतः:-

i) किराया नियंत्रक के पास निष्कासन के लिए आवेदन में संशोधन की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के नियम 17 के प्रावधानों को पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का 3) की धारा 16 के तहत किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं किया गया है (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है); और

ii) यह कि परिसर के एक हिस्से को कथित तौर पर पट्टे पर देना अधिनियम की धारा 13 के तहत बेदखली के लिए कार्रवाई का एक विशिष्ट और पृथक कारण है, और इसलिए, बेदखली के लिए एक अलग आवेदन का विषय बनना चाहिए था, खासकर जब मकान मालिक उत्तरदाताओं ने वर्तमान मामले के लंबित रहने के दौरान बेदखली के लिए कई बाद के आवेदन दायर किए हैं।

(2) प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री नंद लाल ढींगरा ने मेरा ध्यान *मथरा दास बनाम ओम प्रकाश और अन्य (1)* मामले में ए. एन. भंडारी, सीजे (जैसा कि वह तब थे) के फैसले की ओर दिलाया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि के न्यायालय के पास ऐसे प्रशासन के लिए वास्तविक और सारवान न्याय करने के लिए, जिसका केवल वह अस्तित्व रखता है, प्रत्युत न्यायोचित कार्य करने और अपनी

अधिकारिता के दायरे में न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक सभी कार्य करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उस मामले में कहा कि एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष हर प्रक्रिया की अनुमति है जब तक कि इसे कानून द्वारा निषिद्ध नहीं दिखाया जाता है। उस प्रस्ताव के लिए उन्होंने *नरसिंह दास बनाम मंगल दुबे (2)* इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। श्री ढींगरा द्वारा यह विवादित नहीं है कि

(1) 1957 पी.एल.आर.
(2) आई.एल.आर. 5 सभी। 163.

आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। दूसरी ओर उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि जब किसी न्यायाधिकरण की शक्तियां किसी भी क़ानून द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया से बंधी नहीं होती हैं, तो इसकी शक्तियां एक साधारण न्यायालय की तुलना में व्यापक होती हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि एक विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही का संचालन, जिसके समक्ष प्रक्रिया किसी विशेष कानून द्वारा विनियमित नहीं है, को अपने विवेक में माना जाना चाहिए। मैं श्री ढींगरा के इन निवेदनों से सहमत हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त केवल समन जारी करने की शक्ति (गवाह की उपस्थिति को लागू करने और सबूत पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए) विशेष रूप से अधिनियम की धारा 16 के तहत एक किराया नियंत्रक में निहित की गई है। इसलिए, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि किराया नियंत्रक की अदालत के पास अच्छे और पर्याप्त कारणों से उसके समक्ष लंबित निष्कासन मामलों में दलीलों में संशोधन की अनुमति देने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है। किसी भी कानून में किराया नियंत्रक द्वारा उस शक्ति के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है।

(3) इसमें कोई संदेह नहीं है कि मकान मालिक ने कथित सबलेटिंग के बाद बेदखली के लिए दायर किसी भी याचिका (बाद की अवधि के लिए किराए का भुगतान न करने के आधार पर) में बाद में सबलेट देने के आधार को शामिल किया होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यदि किसी वादी के लिए कानूनी रूप से दो मार्ग खुले हैं, तो उसे अदालत द्वारा उन में से एक का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो विपरीत पक्ष के अनुकूल हैं। चूंकि मकान मालिक को अतिरिक्त

याचिका लेने पर कोई रोक नहीं है। अपनी मूल याचिका में संशोधन करके, मेरी राय में, उन्हें निष्कासन के लिए केवल एक नए आवेदन में नया आधार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अदालतों को कार्यवाही की परिहार्य बहुलता पर हाथ नहीं डालना चाहिए और हमेशा एक ही मुकदमे में पार्टियों के बीच के मुद्दों को प्रभावी ढंग से तय करने की कोशिश करनी चाहिए, जहां तक यह कानून द्वारा स्वीकार्य है। मामले की परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि किराया नियंत्रक ने याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए अपने आवेदन में संशोधन के लिए मकान मालिक-उत्तरदाताओं के आवेदन को अनुमति देने में अवैध या अनुचित रूप से काम किया। किसी मामले के लंबित रहने के दौरान बदली हुई परिस्थितियों का संज्ञान लेने के लिए दलीलों में संशोधन की अनुमति देने की वांछनीयता को *नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम अलेक्जेंडर और अन्य (3)* में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है।

(4) मैंने श्री गुप्ता द्वारा उठाए गए दोनों तर्कों को ध्यान में रखते हुए आईडी दुआ, जे (जैसा कि वह उस समय थे), *श्री रुलदू राम और अन्य बनाम श्री सरूप चंद (4)* के अप्रकाशित निर्णय के अधिकार पर श्री ढींगरा द्वारा दिए गए अतिरिक्त तर्क पर विचार करना अनावश्यक है,इस आशय के लिए कि अधिनियम की धारा 15 (5) का आशय अंतर्वर्ती आदेशों के पुनरीक्षण के लिए याचिकाएं दायर करने की अनुमति देना नहीं है और यह कि उक्त उपबंध सामान्य रूप से अधिनियम के अधीन पारित अंतिम आदेशों के विरुद्ध आक्रमण तक सीमित और सीमित करने के लिए अभिप्रेत है।

(5) पूर्वगामी कारणों के लिए यह याचिका विफल होनी चाहिए और तदनुसार लागत के साथ खारिज की जाती है।

के.एस.के.

(3) ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 1165.

(4) 1963 के सीआर नंबर 528 पर 13 जनवरी, 1964 को फैसला सुनाया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशिमा गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरूग्राम, हरियाणा